न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/33/2024	2024/59	24.07.2024	10.06.2025

1.सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, अलवर जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1.श्री मिथलेश पुत्र श्री श्याम प्रसाद, हाल निवासी 2/1, एनईबी, दाउदपुर अलवर।

—अप्रार्थी

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 38 घरेलू गैर सिलेण्डर, 9 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 11 रेग्यूलेटर, 1 बांसुरीनूमा गैस रिफलिंग यंत्र तथा 4 मोटर को राजसात करने बाबत्।

उपस्थितः—

01. श्री प्रवर्तन अधिकारी —विभागीय प्रतिनिधि

—:निर्णयः—

प्रवर्तन अधिकारी, अलवर ने प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 38 घरेलू गैर सिलेण्डर, 9 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 11 रेग्यूलेटर, 1 बांसुरीनूमा गैस रिफलिंग यंत्र तथा 4 मोटर को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि दिनांक 22.07.2024 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री रणधीर सिंह प्रवर्तन अधिकारी, श्री कृष्ण कुमार बॉयला, प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु श्री मिथलेश पुत्र श्री श्याम प्रसाद, हाल निवासी 2/1. एनईबी, दाउदपुर, अलवर के अग्रसेन सर्किल, अलवर स्थित कियोस्क नम्बर 32 से 36, पर पहुंचे।

मौके पर श्री मिथलेश पुत्र श्री श्याम प्रसाद, हाल निवासी 2/1. एनईबी, दाउदपुर, अलवर उपस्थित मिले। फर्म श्री मिथलेश के कियोस्क नम्बर 32 से 36 पर अवैध रूप से भण्डारण किये गये 38 घरेलू गैस सिलेण्डर, 9 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 11 रेग्यूलेटर, 1 बांसुरीनुमा गैस रिफलिंग यंत्र तथा 4 मोटर अवैध रूप से संग्रहित पाये गये। जिनका उपयोग वाहनों में अवैध गैस रिफलिंग के लिए किया जा रहा था। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया। श्री मिथलेश पुत्र श्री श्याम प्रसाद द्वारा घरेलू सिलेण्डरों एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री मिथलेश के द्वारा घरेलू व अन्य गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था. जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 38 घरेलू गैस सिलेण्डर, 9 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 11 रेग्यूलेटर, 1 बांसुरीनुमा गैस रिफलिंग यंत्र तथा 4 मोटर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 38 घरेलू गैस सिलेण्डर, 9 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 11 रेग्यूलेटर, 1 बांसुरीनुमा गैस रिफलिंग यंत्र तथा 4 मोटर को मै० सुमन गैस एजेंसी, अलवर के प्रतिनिधि श्री महावीर को सुपुर्द किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 38 घरेलू गैस सिलेण्डर, 9 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 11 रेग्यूलेटर, 1 बांसुरीनुमा गैस रिफलिंग यंत्र तथा 4 मोटर को राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। अप्रार्थी का जवाब बंन्द किया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व प्रार्थी की बहस पर चिन्तन–मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी, प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 22.07.2024 को दुकान का निरीक्षण किया गया। दौराने जांच मौके पर अप्रार्थी मिथलेश पुत्र श्री श्याम प्रसाद, हाल निवासी 2/1. एनईबी, दाउदपुर, अलवर के कियोस्क नम्बर 32 से 36 पर अवैध रूप से भण्डारण किये गये 38 घरेलू गैस सिलेण्डर, 9 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 11 रेग्यूलेटर, 1 बांसुरीनुमा गैस रिफलिंग यंत्र तथा 4 मोटर अवैध रूप से संग्रहित पाये गये, जिनका उपयोग प्रार्थी के अनुसार वाहनों में अवैध गैस रिफलिंग के लिए किया जा रहा था। अप्रार्थी मिथलेश पुत्र श्री श्याम प्रसाद द्वारा घरेलू सिलेण्डरों एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत वक्त जांच कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थी श्री मिथलेश के द्वारा घरेलू व अन्य गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। उक्त जब्तशुदा 38 घरेलू गैस सिलेण्डर, 9 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 11 रेग्यूलेटर, 1 बांसुरीनुमा गैस रिफलिंग यंत्र तथा 4 मोटर को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी अलवर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त जप्तशुदा 38 घरेलू गैस सिलेण्डर, 9 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 11 रेग्यूलेटर, 1 बांसुरीनुमा गैस रिफलिंग यंत्र तथा 4 मोटर को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें एवं अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि जमा राजकोष कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)